




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-08/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.12.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्बत् 2078 ग्राम पालौदा भूमि ख0न0 511 रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह पर गैरसायल रणजीता पुत्र मूलचन्द जाति रावत निवासी रसीदपुर द्वारा जिन्स सरसों काशत कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार कर उसे हटाया जाना स्वीकार किया।</p> <p>अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 4.40 रुपये का 50 गुणा 220 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल वसूली एवं फसल जप्ती नीलामी हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद लकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर (दोसा)</p> <p>रा0 ले0 स0 4 वर्ष 2078 की पू0 स0 220 पर 220 रु रू मांग कायम की ग तहसील राजस्व लेखाक</p>	

फर्द बेदखली

आज दिनांक 7.3.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदारजी, महवा
 क्रमांक -RA/2022/40-14 दिनांक 27.12.21 की पालना में ग्राम पालौदा के
 खसरा नंबर 511 रकबा 2.47 हे. किस्म चारागाह मौके
 पर आया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में 0.10 हे. भूमि पर श्री
 राजीव पुत्र मूलचंद जाति रावत
 निवासी रसीपुर ने अतिचार करके फसल सरसो काशत कर रखी
 है।

उक्त भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि को कब्जा राज लिया


गया

 08.3.22

 7.3.22
 14
 हस्ताक्षर पटवारी 17.2.22


फर्द नीलामी


आज दिनांक 7.3.22 को मुताबिक आदेश श्रीमान तहसीलदार जी,
 महवा क्रमांक -RA/2022/40-14 दिनांक 27.12.21 की पालना में ग्राम पालौदा के
 खसरा नंबर 511 रकबा 0.10 हे. फसल सरसो जो
 कि श्री राजीव पुत्र मूलचंद
 जाति रावत निवासी रसीपुर द्वारा अतिचार करके काशत की गई, को
 मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर फसल को कब्जा राज लिया गया तथा मौके पर नीलाम
 किया गया। जिसकी नीलामी बोली निम्न प्रकार रही :-

क्र०सं०	नाम बोलीदार	राशि	हस्ताक्षर
1.	नारायण सुप्रकाश जोशी पालौदा	850	नारायण
2.	पद्मलाल पुत्र सुरजधर कासब	900	पद्मलाल
3.	दुलजी पुत्र कन्देपा माली रागेरुडा	1000	दुलजी


उक्त बोली से अधिक किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली नहीं लगाई गई। अतः श्री
 दुलजी पुत्र श्री कन्देपा जाति माली
 निवासी रसीपुर के नाम राशि रू० 1000 में अन्तिम बोली
 छोड़ी गई।


 7.3.22


 7.3.22
 14

स्वीकृत

 तहसीलदार
 महवा (जिला दौसा)

रा० ल० स० 4 वर्ष 2078 की
 प० स० 29 पर 1000 रु रु
 मांग कायम की गई।


 तहसील राजस्व लखाका